

FORM NO III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

उ. अदालत उपखण्ड अधिकारी अराई

मुकाम अराई (अजमेर)

- 1 रामस्वरूप पुत्र नाथूलाल उम्र करीब 55 वर्ष जाति दरोगा निवासी ग्राम मण्डावरिया तहसील अराई जिला अजमेर राज0 वगै.

प्रार्थीगण

बनाम

- 2 गणपत पुत्र नाथूलाल वर्ष जाति दरोगा निवासी ग्राम मण्डावरिया तहसील अराई जिला अजमेर राज0 वगै

अप्रार्थीगण



किस्म मुकदमा- 212 राज0 काश्तकारी अधि0

नंबर 43/2021

ऑनलाइन नंबर 2020/.....

वकील प्रार्थीगण रामदेव गुर्जर

वकील अप्रार्थीगण .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.07.2021	यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान का0 अधिनियम के तहत पेश किया। प्रा.पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, वकील प्रार्थीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 28.07.2021 को पेश हो।  <div style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      अराई (अजमेर)                 </div>	
28/7/2021	पत्रावली पेश हुई वकील वाडी डप./अप्राप्ती स. 3,4 के तामिल शुब व 1,2,5 के अदम तामिल नोटिस शामिल प्रतिवादी स. 5 के तामिल/अदम तामिल नोटिस अशुभ। P.O. सा. राजस्थान में व्यक्त। पत्रावली दिनांक 03/08/2021 को पेश हो।  <div style="text-align: right;">                     Nethu                 </div>	
03/8/2021	पत्रावली पेश हुई अप्राप्ती की ओर से वकील श्री शंदेशु रामचंद्रानी उपस्थित। वकील वाडी द्वारा मूल वाडड आहरित किया जा चुका है अतः प्राप्तीपत्र अन्तर्गत धारा 212 को चलाने का कोई व्यायक्त ऑचियल नहीं बनता है। पत्रावली फौजल शुभाट हो गल नपु से कम हो।  <div style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      अराई (अजमेर)                 </div>	

